न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 103/2026 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

इंडिया शेल्टर फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री विनय
रजिस्टर्ड कार्यालयः–छवां तल, प्लाट संख्या 15, इंस्टीटयूशनल एरिया, सेक्टर 44, गुरूग्राम हरियाणा 122002
शाखा कार्यालयः– नीमकाथाना सीकर राजस्थान 332713

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **विद्या देवी पत्नी जगदीश प्रसाद** पट्टा सं. 41, ग्राम बणियाला, ढ़ाणी कालू की ग्राम पंचायत महावा पंचायत समिति नीम का थाना जिला सीकर
2. **जगदीश प्रसाद गुर्जर पुत्र भोला राम** पट्टा सं. 41, ग्राम बणियाला, ढ़ाणी कालू की ग्राम पंचायत महावा पंचायत समिति नीम का थाना जिला सीकर
3. **इन्द्राज गुर्जर पुत्र जगदीश प्रसाद गुर्जर** पट्टा सं. 41, ग्राम बणियाला, ढ़ाणी कालू की ग्राम पंचायत महावा पंचायत समिति नीम का थाना जिला सीकर

– अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 18 मई, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री मंयक कुमार** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **विद्या देवी पत्नी जगदीश प्रसाद, जगदीश प्रसाद गुर्जर पुत्र भोला राम** एवं **इन्द्राज गुर्जर पुत्र जगदीश प्रसाद गुर्जर** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक **अचल पट्टा संख्या 41, ग्राम बणियाला, ढ़ाणी**

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

कालू की ग्राम पंचायत महावा पंचायत समिति नीम का थाना जिला सीकर राजस्थान 332713 में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 102.00 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में खाली जगह, पश्चिम दिशा में गली छोड़कर नाथू राम के मकान, उत्तर दिशा में गली छोड़कर भोला राम के पुत्रों का सामलात मकान एवं दक्षिण दिशा में आम रास्ता स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹8,94,900/– रूपये (अक्षरे रूपये आठ लाख चौरानवे हजार नौ सौ)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **11.11.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **11.11.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **विद्या देवी पत्नी जगदीश प्रसाद, जगदीश प्रसाद गुर्जर पुत्र भोला राम** एवं **इन्द्राज गुर्जर पुत्र जगदीश प्रसाद गुर्जर** की ओर से

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक **अचल पट्टा संख्या 41, ग्राम बणियाला, ढ़ाणी कालू की ग्राम पंचायत महावा पंचायत समिति नीम का थाना जिला सीकर राजस्थान 332713** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 102.00 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में खाली जगह, पश्चिम दिशा में गली छोड़कर नाथू राम के मकान, उत्तर दिशा में गली छोड़कर भोला राम के पुत्रो का सामलात मकान एवं दक्षिण दिशा में आम रास्ता स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **18 मई, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर